भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2057

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्रियों/साइकिल चालकों की सुरक्षा

†2057. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर या उसको पार कर आने-जाने वाले पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और गैर-मोटर चालित उपयोगकर्ताओं के सुरक्षित आवागमन के अधिकार को मान्यता देती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राजमार्ग नियोजन और निर्माण के दौरान महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित समपार और सुलभ बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की मृत्यु या चोटों के आंकड़े रखे गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का सभी राजमार्ग परियोजनाओं में हर स्तर पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने का विचार है, जिसमें आवश्यकतानुसार डिज़ाइन में संशोधन भी शामिल है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क), (ख) और (घ) पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और गैर-मोटर चालित प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के कोडल प्रावधानों/दिशानिर्देशों और सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों के विनिर्देशों के अनुसार विस्तृत सर्वेक्षण और साइट आवश्यकताओं के आधार पर पैदल यात्री अंडरपास, फुटपाथ, फुट-ओवर ब्रिज, पैदल यात्री क्रॉसिंग उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा, पैदल यात्रियों और अन्य असुरक्षित सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण और प्रारंभन-पूर्व चरण के साथ-साथ मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा किया जाता है। आईआरसी दिशानिर्देशों में दिव्यांगजनों के लिए फुटपाथों या पैदल पथों के प्रयोक्ता-अनुकूल प्रावधान के संबंध में "सार्वभौमिक सुगमता" को एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है। उपरोक्त दिशानिर्देशों के प्रावधानों को सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा और स्थल की अपेक्षाओं के आधार पर लागू किया जाता है।

(ग) जी, हाँ। विवरण अनुबंध में संलग्न है।

अनुबंध

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्रियों/साइकिल चालकों की सुरक्षा के संबंध में श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर द्वारा दिनांक 31.07.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2057 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पैदल यात्री और साइकिल श्रेणियों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाएँ और मृत्यु				
वर्ष	**पैदल यात्री**		**साइकिलें**	
	कुल दुर्घटनाएँ	**मृत्यु**	**कुल दुर्घटनाएँ**	**मृत्यु**
2018 #	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2019	18906	7749	3693	1668
2020	13882	7753	2468	1232
2021	17113	9462	3009	1667
2022	20513	10160	3003	1445

#2019 के बाद संग्रहीत आंकड़े

*****